International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप और शिक्षितों का भविष्य

Dr. Suresh Namdeo Dandge

Arts and Commerce College, Kasegaon, Dist- Sangli.

प्रस्तावना

देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार, देश स्तर पर 21 वीं सदी की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नियमों, प्रशासनिक व्यवस्था में कई सुधार लाने का इरादा है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन के माध्यम से विकास और सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश स्तर पर एक सक्षम शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। इस शिक्षा नीति का मूल सिद्धांत नई शिक्षा नीति 2020 की प्रक्रिया के माध्यम से एक रचनात्मक, वैचारिक, तर्कसंगत, सहयोगात्मक, समावेशी, सहानुभूतिपूर्ण और आत्मविश्वासी समाज का निर्माण करना है। लेकिन अगर इस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली बाधित होती है, तो आम गरीबों का दम घुटना और अमीरों का पक्ष लेना निश्चित है। इस शोध के माध्यम से समाज में मानवतावाद, नवप्रवर्तन, सुधारवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो "राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020" के तहत उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप और शिक्षितों का भविष्य" को अध्ययन विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है

कीवर्ड

बुद्धिवाद

भारतीय समाज में प्रचलित अमानविय रीति-रिवाजों की जांच-पडताल मनुष्य को अपनी बौद्धिक प्रतिभा के आधार पर करनी चाहिए। हर मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य यह है की, सामाजिक रीति-रिवाजों का मूल्यांकन एवं जांच-पडताल अपने बुद्धिवादी और विवेकवादी दृष्टि से करे। साथही समाज में बसा हुआ व्यक्तिगत भेदभाव और उस पर आधारित ऊँच - नीच भेद को भी बुद्धि से हटाना समाज हित के लीये आवश्यक है!

शिक्षण

समाज की सोच पश्चिमी विचारकों के विकासवादी विचार के अधीन होनी चाहिए। समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक वैचारिक चेतना के परिवर्तन के लिए शैक्षिक परिवर्तन किया जाना चाहिए। श्रेष्ठता-हीनता के सिद्धांत का वास्तविक सामाजिक जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। नए समाज के निर्माण के लिए लोगों को शैक्षिक आधारपर पोषित किया जाए तो समाज को देशभक्ति की दिशा मिलेगी।

उदारतावाद

समाज का वर्गीकरण होने से समाज निम्न एवं श्रेष्ठ में विभाजित हो गया। इस सामाजिक विभाजन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की हीनता और श्रेष्ठता उसके जन्म से ही आदर्श बनने लगी।
इसलिए किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठ-कनिष्टता का निर्धारण उसके जन्म से नहीं बल्कि उसमें मौजूद गुणों से होना चाहिए। ऐसी समानता की भावना को उदारवाद कहा जाता है। भारतीय समाज का निर्माण ऐसे ही समानता और उदार सिद्धांतों के आधारपर होनी चाहिए।

शोध विषय की परिकल्पनाएँ

1. व्यापक, सार्थक एवं कौशलपूर्ण शिक्षा का अभाव है।
2. निस्वार्थ एवं सुधारवादी शिक्षकों का अभाव।
3. शिक्षा में ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग बंद किया जाए।
4. शिक्षा में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को खत्म किया जाए।

देश में उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास एवं नये ज्ञान का सृजन करने के लिए सभी की भागीदारी से समाज के लिए उत्पादक एवं नवीन विषयों का निर्माण किया जाना चाहिए। "छात्रों को जीवन और कार्य के अधिक सार्थक और पूर्ण रूपों के लिए तैयार रहना चाहिए और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशक्त होना चाहिए।"[1] भारत की आजादी के बाद देश को बदलने के लिए राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग और कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई, लेकिन फिर भी देश सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति नहीं कर सका।

उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप

विश्वविद्यालय और कॉलेज की शैक्षिक प्रणालियाँ पश्चिमी देश पर आधारित थीं। संपत्ति और बुद्धि विदेशों में प्रवाहित हो रही है क्योंकि "हजारों भारतीय छात्र देश छोड़कर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों में भारी फीस देकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं!"[2] उच्च शिक्षा के विकास और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बदलती वैश्विक स्थिति के साथ तालमेल के लिए प्रचलित शैक्षिक

संरचना को बदलना आवश्यक है। इसीलिए डॉ. के. रंगनाथन शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई और नई शिक्षा प्रणाली अपनाई गई। "बहुविषयक शिक्षा प्रणाली को अपनाना, अनुसंधान को प्राथमिकता, उच्च शिक्षा नियामक निकायों का पुनर्गठन इस नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।"[3]

शिक्षा क्षेत्र में सहायता न देने की नीति राष्ट्रीय हित के लिए घातक है

किसी भी राष्ट्र का भविष्य कुशल जनशक्ति और छात्रों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। "शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचना हर इंसान का अधिकार है।"[4] विभिन्न सरकारों ने देश के लिए आवश्यक प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा को सरकारी तंत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने के बजाय गैर-सब्सिडी नीति को बढ़ावा देकर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, अमीर और अमीर राजनेताओं को भारी धन इकट्ठा करने का अवसर दिया है। वास्तव में, "उच्च शिक्षा अमीरों के लिए विलासिता नहीं बल्कि विशेष रूप से गरीबों के लिए एक आवश्यकता है।"[5] शिक्षा व्यवस्था में पूंजीपतियों के प्रवेश के कारण गरीब, निर्धन, दूरस्थ, पहाड़ी और जनजातीय लोग अप्रभावी नीति के कारण शिक्षा से स्थायी रूप से वंचित हो रहे हैं। संक्षेप में, "अनुसूचित जातियों और जनजातियों, महिलाओं, और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए इन संस्थाओ में प्रवेश की संभावना कम है।"[6]

शिक्षक भर्ती के प्रती सरकार की उदासीनता

"देश में राजनीतिक दल लोगों से करोड़ों नौकरियां पैदा करने का झूठा वादा कर रहे हैं। ऐसा ज्यादातर वोट पाने के मकसद से किया जाता है."[7] लेकिन असल में अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाती है. "शैक्षिक गतिविधियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छात्र-शिक्षक अनुपात 10:1 से 20:1 के अनुपात में तय किया जाएगा।"[8] यह शिक्षा आयोग 2020 की सिफ़ारिश प्रतीत होती है। लेकिन सरकारी पूंजीपति सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षा प्रणाली को बाहर कर निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे कुशल, गुणात्मक और गुणात्मक जनशक्ति तैयार नहीं होगी। क्योंकि देश में शिक्षकों और प्रोफेसरों की पर्याप्त संख्या न होना एक बड़ी समस्या है। "शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता पर निर्भर करती है।"[9] शिक्षण और शोध तभी अच्छे से हो सकता है जब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों-प्रोफेसरों की संख्या छात्रों की संख्या के समानुपाती हो।

ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हैं

शिक्षा में आधुनिक एवं उन्नत तकनीक का प्रयोग करना गलत नहीं है। लेकिन "ऑनलाइन शिक्षा पर चर्चा करते हुए क्या हम सार्वभौमिक रूप से ऐसी सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हैं? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसकी खोज की गई है।"[10] वर्ष 2020 के कोविड-19 के दौरान बनी विपरीत परिस्थिति में और

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ऑनलाइन शिक्षा का भ्रम पैदा किया जा रहा है। ऐसे छात्र शोध से मुंह मोड़ लेंगे क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की गंभीरता को कम कर देती है। साथ ही, यदि कोरोना की पृष्ठभूमि में ऑनलाइन शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में अपनाया गया है, हालाँकि, इसका उपयोग बहुसंख्यकों को शिक्षा से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। "ऑनलाइन शिक्षा अस्थाई रूप में लागू होने जा रही है।"[11] ऐसा कोई भी जिम्मेदार सरकार नहीं कहती!

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश

कलात्मक मामलों के आदान-प्रदान के लिए भारतीय संस्कृति, ज्ञान, कला आदि को विकसित करना "एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान-आधारित समाज बनाने के लिए सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।"[12] भारतीय शिक्षा प्रणाली नई शैक्षिक नीतियों को अपनाकर विश्व स्तर पर एक वैश्विक नेता के रूप में जानने का प्रयास कर रही है। लेकिन "विदेशी विश्वविद्यालय हर किसी के लिए शिक्षा का खर्च उठाना मुश्किल बना देंगे। यदि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय आने में अनिच्छुक हैं, तो बाज़ारु विश्वविद्यालय इसका लाभ उठाएँगे।" [13]

शिक्षा में अमीर-गरीब पर आधारित असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए

देशभर में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रीय, राज्य स्तरीय, सहायता प्राप्त, अनुमोदित, गैर सहायता प्राप्त और स्वायत्त विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं। तदनुसार, "2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए सतत शिक्षा और सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना"[14] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है! इन शैक्षिक केंद्रों में पाठ्यक्रम एक समान नहीं है, यह एक ऐसा कारक है जो उच्च शिक्षा में असमानता के विकास को प्रोत्साहित करता है। स्वामी विवेकानन्द कहते हैं, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग और कोठारी आयोग द्वारा किया गया था। "अगर मुट्ठी भर ऊंची जातियां अपने खर्च पर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और लाखों लोगों को भूखा और अशिक्षित छोड़ रही हैं, तो वे उन्हीं की तरह कृतघ्न और देशद्रोही हैं।"[15]

सरकारी नीति के कारण विद्यार्थी परीक्षार्थी बन गया है

"शिक्षकों की मुख्य भूमिका ज्ञान प्रदान करना और छात्रों को मार्गदर्शन करना है, उन्हें अनुसंधान प्रयोग और नवाचार को भी अपनाना चाहिए।"[16] देश भर के विश्वविद्यालयों ने शिक्षक-परीक्षक पर अप्रभावी मूल्यांकन प्रणाली थोप दी है, इसलिए परीक्षक ने उदार मूल्यांकन की नीति अपनाई है। आज की शिक्षा प्रणाली ने विद्यार्थी को ज्ञान जिज्ञासु के बजाय परीक्षार्थी बना दिया है। अतः ज्ञानार्जन के प्रति

उदासीनता है। "अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए आकर्षित करना और विदेश में शोध करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करना"[17] डॉ. कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए

उच्च शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षकों द्वारा अपनी योग्यता का उपयोग करके एक जीवंत शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। इस संगठन के नियमन एवं नियंत्रण से कुशल जनशक्ति का निर्माण होता है। वैश्वीकरण और "निजीकरण के कारण सरकारें कम आय वाले परिवारों के छात्रों की सुरक्षा नहीं कर सकतीं।"[18] 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार, उच्च शिक्षा के विकेंद्रीकरण में बाधा डाले बिना विश्वविद्यालयों के अधीन महाविद्यालयों को सीधे वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

शिक्षा का केंद्रीकरण करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है

"उच्च शिक्षा के एक संस्थान में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला और मानविकी का एकीकरण होगा"[19] इस प्रकार के शैक्षिक परिवर्तन के अनुसार सभी शैक्षिक केन्द्रों का मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा महाविद्यालय बंद कर दिये जायेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो शिक्षा की देखरेख करता है और देश भर के विश्वविद्यालयों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ खुद को राजनीति के घेरे में पाया है। "सीखने के साधन, आस-पास रहने वाले रिश्तेदार, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर"[20] छात्र इन बातों को ध्यान में रखकर ही किसी शिक्षण संस्थानो में प्रवेश लेते हैं।

शिक्षा क्षेत्र का राजनीतिक विनियमन और नियंत्रण हटाया जाना चाहिए

"शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, मानसिक शक्ति बढ़ाए, बुद्धि का विस्तार करे और आत्मनिर्भर बनाए।"[21] उच्च शिक्षा दलितों और आदिवासियों जैसे पिछड़े समूहों के गरीब बच्चों के लिए खुली थी, जो हजारों वर्षों से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित थे, वे शैक्षिक प्रगति करने में सक्षम थे। लेकिन स्नातक छात्रों की संख्या केवल बढ़ रही है क्योंकि राजनेता इस बात पर नियम लागू करते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है और क्या प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाना चाहिए। "राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण शिक्षा का निजीकरण और असामाजिकीकरण तीव्र गति से हो रहा है।"[22]

भारतीय रीति-रिवाजों और परंपराओं को उच्च बनाने की क्रिया बंद करें

2020 की शिक्षा नीति अनुसार "छात्रों की कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, कला-कौशल और प्रयोगात्मक गतिविधियों पर ध्यान दिया गया"[23] तो कई छात्रों का उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. "समाज द्वारा संरक्षित व्यवहार की निरंतरता ही परंपरा है।"[24] हजारों वर्षों से लोगों के मन में गहरी जड़ें जमाए हुए प्रचलित सामाजिक-धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं को नष्ट करणे के लीये राजाराम मोहन राय, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिजोति सावित्रीबाई फुले, गोपाल गणेश आगरकर, राजर्षि शाहू महाराज और डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक परिश्रम किया था! मुगल इतिहास का कुछ हिस्सा पाठ्यक्रम से हटाने के बाद, "एनसीईआरटी ने दुनिया के महानतम वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का पाठ विज्ञान पाठ्यक्रम से हटा दिया है!"[25] यह सरकार की प्रतिगामी नीति को दर्शाता है.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्षण

1. शिक्षा मनुष्य में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संचार करती है।
2. शैक्षिक संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देती है।
3. शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति पैदा करती है।
4. शिक्षा नागरिकों को सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक बनाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 का परिणाम

डॉ. कस्तूरीरंगन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों की राय पर विचार किया और सकारात्मक बदलाव का सुझाव दिया। "उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करें और उच्च शिक्षा संस्थानों को 3000 या अधिक छात्रों वाले बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एचईआई समूहों या ज्ञान केंद्रों में बदल दें"[26] नई शिक्षा नीति के अनुसार, यदि शिक्षा का निजीकरण और बाजारीकरण किया गया तो केवल अमीर लोग ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

देश की शिक्षा व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

सरकार का प्राथमिक कर्तव्य भारतीयों की पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों, भाषा, आय और भौगोलिक विविधता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहिए। लेकिन "ऐसा लगता है कि आयोग ने उच्च शिक्षा से सम्बंधित अखिल भारतीय संगठन के (AIFUCTO) या कॉलेजो के प्रधानाचार्य के संगठन के साथ कोई चर्चा नहीं की है जो सामूहिक स्तर पर शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं।"[27]

1. शिक्षा के माध्यम से मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।
2. व्यक्ति के व्यक्तित्व, जनहित की भावना तथा जीवन मूल्यों का विकास करना चाहिए।
3. राष्ट्रीय एकता के माध्यम से जाति, जातीय और धार्मिक हिंसा को रोकें।
4. चरित्रशील शिक्षकों को बेरोजगारी के दुःख से मुक्ति दिलानी चाहिए।

निष्कर्ष:

नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा निर्णायक बदलाव के कगार पर है। इसका उद्देश्य समाज में मानवतावाद, नवाचार, सुधारवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है। कॉलेज और विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा को बहु-विषयक, बहुभाषी और व्यापक बनाने और 21 वीं सदी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति और शिक्षकों को पेंशन देकर वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। नागरिकों को समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यदि सभी विद्यार्थियों की क्षमता को विस्तार दिया जाए तो निश्चित ही देश को वैश्विक महाशक्ति बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर इस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली बाधित होती है, तो आम गरीबों का दम घुटना और अमीरों का पक्ष लेना निश्चित है। निजी उद्यमों में पूंजीपतियों द्वारा उन्नत तकनीकों का उपयोग देश के इतिहास में पहली बार असमानता बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है।

संदर्भ:

1. विभुते भालबा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मेहता पब्लिशिंग हाउस, प्रथम संस्करण, पुणे, जून 2022, पृ. 34.
2. पोहेकर प्रीति (अनू.), नाईक बी. एम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतरंग: अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, 2023, प्रथम संस्करण, औरंगाबाद, पृ. 2 (प्रस्तावना).
3. विभुते भालबा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उपरोक्त, पृ. 1.
4. कित्ता, पृ. 7.
5. पोहेकर प्रीति (अनू.), नाईक बी. एम., नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतरंग: अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता, उपरोक्त, पृ. 31.
6. राजक्रांति वळसे और मारोती तेगमपुरे (अनू.), डॉ. सुखदेव थोरात, नई शिक्षा नीति 2020, गुणवत्ता और समान अवसर नीति का विश्लेषण और सीमाएँ, प्रथम संस्करण, हरीति प्रकाशन, पुणे, 2022, पृ. 28.

7. पोहेकर प्रीति (अनु.), नाईक बी. एम., नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतरंग: अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता, उपरोक्त, पृ., 20.
8. विभुते भालबा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उपरोक्त, पृ. 104.
9. वळसे राजक्रांति और मारोती तेगमपुरे (अनु.), डॉ. सुखदेव थोरात, नई शिक्षा नीति 2020, गुणवत्ता और समान अवसर नीति का विश्लेषण और सीमाएँ, उपरोक्त, पृ. 32.
10. कुलकर्णी प्रसाद माधव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रबोधन प्रकाशन ज्योति, अंक 399, फरवरी 2021, पृ. 21.
11. नवनाथ मोरे, ऑनलाइन शिक्षा और आदिवासी छात्र, प्रबोधन प्रकाशन ज्योति, अप्रैल- सितम्बर 2020, पृ. 87.
12. डॉ. जे. एफ. पाटिल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, प्रबोधन प्रकाशन ज्योति, अंक 389 से 394, अप्रैल-सितंबर 2020, पृ. 34.
13. भालबा विभूते, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: विरोधाभासों की उलझन, प्रबोधन प्रकाशन ज्योति, अंक 395, अक्टूबर 2020, पृ. 36.
14. विभुते भालबा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उपरोक्त, पृ. 3.
15. कुलकर्णी प्रसाद माधव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उपरोक्त, पृ. 16.
16. शिंदे उदयकुमार, बदलती शिक्षा नीति और शिक्षक, शिक्षा और समाज की भूमिका, खंड 1, अक्टूबर से दिसंबर 2021, पुणे, पृ. 8.
17. विभुते भालबा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उपरोक्त, पृ. 106.
18. पोहेकर प्रीति (रेव्ह.), नाइक बी. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एम., उपरोक्त, पृ. 32.
19. गोल्हार अनुराधा, उच्च शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का अमल, शिक्षा और समाज, अंक 2, जनवरी-मार्च 2022, पृ. 25.
20. विनायक श्री. देशपांडे और स्नेहा वि. देशपांडे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में स्थानीय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, अर्थसंवाद, जनवरी-मार्च-2022, पृ. 257.
21. कुलकर्णी प्रसाद माधव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उपरोक्त, पृ. 16.
22. कित्ता, पृ. 15.
23. गोल्हार अनुराधा, उच्च शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का अमल, शिक्षा और समाज, उपरोक्त, पृ. 27.
24. विभुते भालबा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उपरोक्त, पृ. 129.
25. पुढारी. दि. 24 अप्रैल 2023.

26. विभुते भालबा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उपरोक्त, पृ. 35.
27. कित्ता., पृ. 111.